S-4403(R)

छत्तीसगढ़ शासन,
गृह विभाग,सी--अनुभाग,
मंत्रालय,दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर
---00---

कमांक / एफ / 4 / 165 / दो(सी) / 2008, रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 08

प्रति

सहायक संचालक,
भारत सरकार,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली 110 003।

विषयः– राष्ट्रीय अनूसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र–नक्सलियो के भय से आदिवासियों द्वारा अपने घर छोड़ने के संबंध में शेड्यूल कास्ट अपलिफ्ट यूनियन, नई दिल्ली द्वारा आयोग को दिये गये अभ्यावेदन पर कार्यवाही।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक Asso/Atrocity/Chhattisgarh/2008/93/RU-III दिनांक 16.4.08

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, राजनॉदगॉव से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार दिनांक 16.2.08 को प्रार्थी केशरसिंह पिता पंचमसिंह गोंड़ उम्र 50 साल ग्राम मलैदा एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा पुलिस थाना गातापार जिला राजनॉदगॉव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 12.2.08 से लगातार नक्सलियों द्वारा गांव आकर नक्सली संगठन तथा दलम में शामिल न होने पर घर को आग लगाये एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है जिससे भयभीत होकर ग्रामवासी ग्राम गातापार जिला राजनॉदगॉव पहूँचे एवं उनकी रिपोर्ट पर पुलिस थाना गातापार में अप0क0 6 / 08 धारा 147,148,149,506,447,448,386 ता.हि. 25,27 आर्म्स एक्ट एवं जनसुरक्षा अधिनियम 8 (1--3--5) का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

नक्सली पीड़ित 23 परिवार के 32 पुरूष 31 महिला एवं 49 बच्चे कुल 112 व्यक्तियों को जिला प्रशासन, वन विभाग, ग्राम पंचायत भवन में पूरी सुरक्षा के साथ इन्हें ठहराया गया है। जिलाधीश राजनॉदगॉव द्वारा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास योजना के तहत 5000–5000 रू0 आर्थिक सहायता प्रदाय की गई है तथा एसडीएम खैरागढ़ के द्वारा गातापार में ही 900 वर्गफुट जमीन प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

31/7/08

(एस0आर0दिव्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
गृह विभाग